न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0–102/2017

उनवान–सरकार बनाम अजयकुमार गोयल वगैरा (मै0 गणेश मेडिकल स्टोर बाडी)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0एक्ट 2006 नियम 2011)

निर्णय दिनांक – 22.04.2018

आज यह पत्रावली राष्टीय लोक अदालत में पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थीगण संख्या–1 श्री अजय कुमार गोयल (मालिक एंव विक्रेता) मैसर्स गणेश मेडिकल स्टोर बाडी 2–श्री विनोद कुमार प्रो0 मैसर्स कमला इन्टरप्राईजेज 57 भगवान पथ रेल नगर निर्माण नगर के पास अजमेर रोड जयपुर 3–श्री तरूण भारद्वाज प्रो0 मैसर्स भारद्वाज हर्वस एण्ड रिसर्च सेंन्टर एफ 72 शंकर मार्ग कांतिचंद रोड बनीपार्क जयपुर 4–मैसर्स भारद्वाज हर्वस एण्ड रिसर्च सेंन्टर एफ 72 शंकर मार्ग कांतिचंद रोड बनीपार्क जयपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.09.2016 को अप्रार्थी संख्या–1की दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में रखे 200 ग्राम के 20 डिब्बे Pronitex (dietry Supplement) देखने पर मिथ्याछाप प्रतीत हुआ उसमें से 12 डिब्बे प्रत्येक 200 ग्राम ज्यों के त्यों वास्ते नमूना जॉच अप्रार्थी से खरीदे। अप्रार्थी ने उक्त Pronitex (dietry Supplement) आम जनता के विक्रय हेतु बताया गया। अप्रार्थी विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र वर्ष 2017 दिखाने को कहा तो उसने रजिस्ट्रेशन पत्र नहीं होना जाहिर किया। उक्त Pronitex (dietry Supplement) नमूना डी–1163 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 17.10.2016 के अनुसार उक्त Pronitex (dietry Supplement) मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त Pronitex (dietry Supplement) का क्रय बिल पेश किया जो अप्रार्थी संख्या 2 से क्रय करना बताया। अप्रार्थी संख्या 2 ने अग्रिम क्रय बिल पेश किया जो अप्रार्थी संख्या संख्या–3 व 4 से क्रय किया जाना बताया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण स्वंय उपस्थित हुऐ। अप्रार्थीगण को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थीगण ने नोटिस का जबाव प्रस्तुत कर आरोपो को स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने तथा प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने हेतु निवेदन किया।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा आरोप स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण ने उक्त Pronitex (dietry Supplement) मिसब्राण्ड का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण Pronitex (dietry Supplement) मिसब्राण्ड बेचने के दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थीगण अजय कुमार गोयल (मालिक एंव विक्रेता) मैसर्स गणेश मेडिकल स्टोर वाडी वगैरा पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत 10,000/–रुपये (दस हजार रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner